ई फाइल संख्या—69449

प्रेषक,

अतर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

Re. Attested

आवास अनुभाग—2, देहरादूनः दिनांक 16 मार्च, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2023—24 में जनपद पिथौरागढ़ के जिला न्यायलय परिसर में तीन मंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31.03.2023, एवं प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड के कार्यवृत्त संख्या—197853/2024, दिनांक 12.03.2024 के क्रम में **जनपद पिथौरागढ़ के जिला न्यायलय परिसर में तीन मंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य** हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, पिथौरागढ़ द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 775.81 लाख पर नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अंतर्गत तकनीकी संपरीक्षा प्रकोष्ठ (टी0ए0सी0) एवं विभागीय व्यय समिति के परीक्षणोपरांत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 676.54 लाख **(रूपये छः करोड़ छियत्तर लाख चौवन हजार मात्र)** पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023—24 में प्रथम किश्त के रूप में कुल लागत का 40 प्रतिशत धनराशि **रू0 270.61 लाख (रूपए दो करोड़ सत्तर लाख इकसठ हजार मात्र)** निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए श्री राज्यपाल व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ के पक्ष में अवमुक्त की जायेगी। उक्त निर्माण हेतु उक्त धनराशि जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ के माध्यम से कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, पिथौरागढ़ को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जनपद स्तर पर गठित सथल चयन समिति की संस्तुती प्राप्त कर ली जायेगी। साथ ही भवन के डिजाईन एवं वैटिग करा ली जायेगी।

(3) स्वीकृत पार्किंग निर्माण हेतु औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 653.08 लाख निर्माण कार्य हेतु तथा धनराशि रू0 23.46 लाख आधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय समय पर यथासंशोधित) के अनुसार व्यय की जायेगी।

(4) प्रा0 वि0/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य के आगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु प्रा0वि0/कार्यदायी संस्था स्वंय जिम्मेदार रहेंगे।

(5) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत

गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(6) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को ादित करना सुनिश्चित किया जाये।

(7) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से श्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(8) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(9) प्रास्तावित कार्य योजना पर कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति यमावली संशोधित 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(10) N.S.I मदों कार्य हेतु शा0सं0–50/xxvii(7)/2012, दिनांकः 12.04.2012, /887/मार्गसि0/रा0यो0आ0/2021, दिनांकः 04.02.2021 एवं 103/XXVII(7)32 007 टी0सी0.1, दिनांकः 21.07.2022 तथा 1389/689/मार्ग0सि0/रा0यो0आ0/ 2, दिनांक 01.10.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति मावली संशोधित 2017 के अनुसार कार्यवाही की जाये।

(11) उक्त पार्किंग पर मालिकाना हक राज्य सरकार का होगा।

(12) प्रा0वि0 एवं कार्यदायी संस्था के मध्य MOU के संबंध में सं0–475/xxvii(7)/2008, दिनांकः 15.12.2008, 571/xxvii(1)/2010, दिनांकः 19.10. 0 तथा 426/xxvii(7)/2013, दिनांकः 22.02.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया ये।

(13) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के धानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम कारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(14) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219 06), दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया ये।

(15) आगणन में प्रस्तावित कार्य की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व संरचनाओं के समस्त ाइन, ड्राईंग एवं डी0पी0आर0 को किसी मान्यता प्राप्त उच्च संस्थान से Vetting करा ा जाये।

(16) प्रा0वि0 कार्यदायी संस्था के द्वारा कार्य प्ररम्भ से पूर्व प्रस्तावित कार्यस्थल का ज्ञानिक तथ्यों का संज्ञान ले लिया जाय।

(17) शा0सं0–156401/2023, दिनांक 30 मार्च, 2022 का भी अनुपालन सुनिश्चित ा जाय।

(18) निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

(19) आगणन में जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं है उन की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त कर दर विश्लेषित करते सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही उन मदों का नियमानुसार कार्य कराया जाय।

(20) परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्राविधानों का विशेष ध्यान रखा य। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई0ई0सी0–62561–7 के मानकों के अनुसार Earthing कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning Protection System IEC62305मानकों

के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्राविधानों को संबंधित विभाग से Vett करा लिया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त किया जाय।

(21) परिसर में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्राविधान अवश्य किये जाय।

(23) प्रस्तावित पार्किंग में Solar Green Energy की व्यवस्था की जाये।

(24) प्रस्तावित पार्किंग के Fascade को प्राकृतिक स्वरूप एवं स्थानीय वास्तुकला के अनुरूप तैयार किया जाय।

(25) प्रास्तावित पार्किंग का सर्वजानिक उपयोग किया जाय।

(26) उक्त पार्किंग निर्माण से पूर्व Traffic Planner से Need Assessment करा लिया जाय।

(27) स्वीकृति धनराशि का आहरण जिलाधिकारी, पिथौरागढ के हस्ताक्षर से संबंधित आहरण बिल पर जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ के प्रति हस्ताक्षर से किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय उक्त पार्किंग के निर्माण हेतु ही किया जाएगा।

(28) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2024 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का parking of Fund नहीं किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि की कार्यवार वित्तीय प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही द्वितीय किश्त निर्गत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023—24 में अनुदान संख्या—13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय—80—सामान्य—800—अन्य व्यय—02—अवस्थापना सुविधाओं का विकास के सुसंगत मानक मद— 53—वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश शासनादेश संख्या—183/XXVII—1/2012 दिनांक 28.03.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संलग्नक—1 के अन्तर्गत एवं वित्त अनुभाग—02 की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या—199648/2024, दिनांक 16.03.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Atar Singh
Date: 16-03-2024 11:00:39

(अतर सिंह)
अपर सचिव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।